

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 132 : Punishment for certain offences

- (1) ¹[Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences], namely: –
- (a) supplies any goods or services or both without issue of any invoice, in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder, with the intention to evade tax;
 - (b) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilisation of input tax credit or refund of tax;
 - ²(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;]
 - (d) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;
 - (e) evades tax ³[****] or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered under clauses (a) to (d);
 - (f) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax due under this Act;
 - (g) ⁴[*****]
 - (h) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with, any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;
 - (i) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

1 Substituted for "Whoever commits any of the following offences" by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020.

2 Clause (c) substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

"(c) avails input tax credit using such invoice or bill referred to in clause (b);"

3 The words ", fraudulently avails input tax credit" omitted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020.

4 Clause (g) omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:

"(g) obstructs or prevents any officer in the discharge of his duties under this Act;"

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (j) ⁵[*****]
- (k) ⁶[*****]
- (l) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in ⁷[clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)] of this section, shall be punishable –
- (i) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine;
- (ii) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds two hundred lakh rupees but does not exceed five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine;
- (iii) in the case of ⁸[an offence specified in clause (b)] where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;
- (iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) ⁹[****] he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.
- (2) Where any person convicted of an offence under this section is again convicted of an offence under this section, then, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

5 Clause (j) omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:

“(j) tampers with or destroys any material evidence or documents;”

6 Clause (k) omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:

“(k) fails to supply any information which he is required to supply under this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information; or ”

7 Substituted for “clauses (a) to (k)” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

8 Substituted for “any other offence” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

9 The words, brackets & letters “or clause (g) or clause (j),” omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (3) The imprisonment referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1) and sub-section (2) shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court, be for a term not less than six months.
- (4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences under this Act, except the offences referred to in sub-section (5) shall be noncognizable and bailable.
- (5) The offences specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) and punishable under clause (i) of that sub-section shall be cognizable and non-bailable.
- (6) A person shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

Explanation—For the purposes of this section, the term “tax” shall include the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or refund wrongly taken under the provisions of this Act, the State Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act and cess levied under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act.

धारा 132 : कतिपय अपराधों के लिए दंड

(1)¹[जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा], अर्थात् :

- (क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है ;
- (ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति किए बिना बीजक या बिल जारी करता है जिसके परिणामस्वरूप इनपुट कर प्रत्यय का त्रुटिपूर्ण फायदा या उपयोग होता है या कर का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय होता है;
- ²(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;]
- (घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसका उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;
- (ङ) कर अपवंचन करता है, ³[.....] कपट से प्रतिदाय प्राप्त करता है और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आता;
- (च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झुठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है;
- (छ) ⁴[.....]
- (ज) किसी माल, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम के तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या उसके परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, उसे हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, उसकी पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में उसका व्यौहार करता है;
- (झ) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसकी पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में ऐसी सेवा की पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह यह जानते हुए करता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का प्रयोग करके इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;"

3 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (छ) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

"(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या उसे रोकता है;"

(ज) ⁵[.....]

(ट) ⁶[.....]

(ठ) इस धारा के ⁷[खण्ड (क) से खण्ड (च) और खण्ड (ज) से खण्ड (झ)] में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

तो वह—

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) ⁸[खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन] की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) ⁹[.....] में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से,

दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास, विशेष और उचित तत्प्रतिकूल कारणों से, जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किया जाए, की अनुपस्थिति में, छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

5 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (ज) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(ज) किसी सारवान् साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;”

6 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (ट) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम में या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है (जब तक कि उसके पास युक्तियुक्त विश्वास न हो, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है) या वह कोई झूठी सूचना देता है; या”

7 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा “खण्ड (क) से खण्ड (ट) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

8 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा “जहां कर अपवंचन” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

9 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा “या खण्ड (छ) या खण्ड (ज)” शब्द विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

- (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।
- (5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।
- (6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर" पद में अपवचित कर की रकम या गलत तरीके से प्राप्त या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत तरीके से ली गई रकम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।